



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-23/2018-1270 दिनांक : ०९/१०/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल रु0 405.676 लाख (चार करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योबो-35/2018-15/स्वी0 व0प0 दिनांक-26.07.2018 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-35/2018-58/आ0 व0प0 दिनांक 31.07.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 405.676 लाख (चार करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार छ: सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	297.053
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	108.623
कुल :-		405.676

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601796580103 तथा पी0 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार / उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते / डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation समय सुनिश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम कार्य स्थल क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—23/2018— 1270 दिनांक— 09/10/18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—23/2018— 1270 दिनांक— 09/10/18

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ चाईबासा/ लातेहार/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			32288.40	11806.99	44095.39
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	250.00	80.721	29.517	110.238
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	170.00	54.890	20.072	74.962
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	250.00	80.721	29.517	110.238
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	250.00	80.721	29.517	110.238
योग :-		920.00	297.053	108.623	405.676

प्रधान मुख्य कर्मज्ञानका विकास
झारखण्ड, राँची।

7 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दरयोजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :-

237.38

1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3.00	712.14	0.00	712.14	
2	झाड़ी साफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेठो	7.00	1661.66	0.00	1661.66	
3	घेरान कार्य —			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ब्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबद्ध लाभ घटाकर दर)		2	474.76	1963.79	2438.55	प्रति हेठो अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवटन किया जाएगा। स्थल विशेष आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्तर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेठो	16.50	3916.77	0.00	3916.77	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट 5/- की दर से कम कर दर्या में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत लिरिक्त रुट के साथ)
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कटूर ट्रैचिंग— 90, कटूर ट्रैच साईंज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हेठो	55.00	13055.90	0.00	13055.90	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (स्थल एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)		16.02	3802.80	5704.20	9507.00	
	योग—		136.02	32288.40	11806.99	44095.39	
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	21.50	5869.50	0.00	5869.50	
2	वृक्षारोपण	हेठो	36.50	9964.50	0.00	9964.50	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	41.50	11329.50	0.00	11329.50	
4	ट्रैच के वर्ष पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2.00	546.00	0.00	546.00	
5	पौधों की सुख्ता (30 हेठो तक)	स्थल	9.20	2511.60	0.00	2511.60	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग—		110.70	30221.10	2515.00	32736.10	

1	2	3	4	5	6	7	8
ग.							
1	एक कोडनी एवं निकौनी	हे०	23.00	7222.00	0.00	7222.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.20	3830.80	0.00	3830.80	
4	गडडा धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	314.00	0.00	314.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	942.00	290.00	1232.00	
	योग-		39.20	12308.80	2182.40	14491.20	
1	एक कोडनी एवं निकौनी	हे०	23.00	8303.00	0.00	8303.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.20	4404.20	0.00	4404.20	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे०	3.00	1063.00	290.00	1373.00	
	योग-		38.20	13790.20	1590.00	15380.20	
1	एक कोडनी-निकौनी	हे०	23.00	9545.00	0.00	9545.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.20	5063.00	0.00	5063.00	
4	धेरान की मरम्मत	चेन	1.00	415.00	0.00	415.00	
	योग-		36.20	15023.00	500.00	15523.00	
1	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.20	5819.40	0.00	5819.40	
1	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	स्थल	12.20	6697.80	0.00	6697.80	
	सकल योग-		384.72	116148.70	18594.39	134743.09	

- नोट (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं धेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा। (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्प्स (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी। (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय। (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय। (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

प्रधान मुख्य वन समिति, विकास,
झारखण्ड, राँची
10/08/2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनस्पति पर वृक्षारोपण एवं ग्रृ-संरक्षण” योजना (जनजातीय द्वे त्र उपयोजना)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल/ग्राम का नाम	जी०पी०ए१० कों-आ०डे०टे०स	प्लॉट संख्या	रक्वा (हे० मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	पूर्णि सिंहभूम	साठवा० प्रक्षेत्र, चाटशिला	चकुलिया	धाटशिला-८०१	अर्जनबेडा	N २२°३१.८१'	E ०८६°५८.९२'	195	20
	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवा० प्रक्षेत्र, चाटशिला	धाटशिला	धाटशिला-६११	नयाभासान	N २२°१७.७५'	E ०८६°५०.१९'	29, 73, 125, 389, 432, 438	30
	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवा० प्रक्षेत्र, चाडिल	बहरागोडा	धाटशिला-५७	माहताम	N २२°३९.२५.४३'	E ०८६°३७.३५.१८'	16, 31, 271, 260, 261, 747, 275	30
	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवा० प्रक्षेत्र, चाडिल	चाणिडल	धाटशिला-५६१	माराखशोल	N २२°३३.५८'	E ०८६°७९.९२'	431, 432, 433, 434, 631	30
	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवा० प्रक्षेत्र, कुकुड़	कुकुड़	चाणिडल-८३	बेरासी सिरुम-२	N २३°.०७४३६	E ०८६°.११४९	577, 545, 505, 783, 81९, ८४६, 110३, ९८९, ९९१, ९८८	50
	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवा० प्रक्षेत्र, चाडिल	साठवा० प्रक्षेत्र, सरयफेला	सरयफेला-७६	बड़ाहिरहारायर	N २२°.५१७०७	E ०८६°.०४२५०	21१९, २०४७, २१९२, २२१५ 307, 34५, 30५, २९१, २९५, २९३, 30९	30
	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	साठवा० प्रक्षेत्र, चाडिल	ईचागढ	चांडिल-२७	कुटाम	N २३°५.६२'	E ०८५°४५.४५'	1, 2, 3, 4, 5	30
2	जमशेदपुर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईर्बासा	साठवा० प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर	खरसाता०-३०	युगीडीह	N २२°४७.१८.९"	E ८५°४१.५७.३"	23, 14, 291, 47६२	30
			कुचाई	खरसाता०-१८	पुनीबुडी	N २२°५०.२७४'	E ८५°४४.५२०'	155, 20२, 20८, 20९, 21२, 10५०, 10५२, 12७३, 14८९, 14२५,	30
				खरसाता०-२१	करकटा	N २२°४९.१७९'	E ८५°४५.३५२'	12६२, 8२१, 4, 4८, ९, ७१, ३९, ३	
				योग :-					250

संक्षेप :-

920

**प्रधान भूम्य वन संसाक विकास
झारखण्ड, राँची।**



आवंटन आदेश

ज्ञारखड सरकार

यात्रा वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2018/1270

दिनांक - 09-Oct-2

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययम पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	61686	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	8,072,100.00 रुपये अस्ती लाख बहतर हजार एक सौ
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	61690	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	5,489,000.00 रुपये चौपन लाख नवारी हजार
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	61693	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	8,072,100.00 रुपये अस्ती लाख बहतर हजार एक सौ


योग:

21,633,200.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़ सोलह लाख तीस हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)
PCOF DI(BADHAKHANS)RANCHI

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - भजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	61700	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	रुपये अस्ती लाख बहतर हजार एक सौ
5	S 19 240601796580323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	61732	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR	रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
6	S 19 240601796580323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	61734	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	रुपये बीस लाख सात हजार दो सौ
योग: 13,031,000.00				
क्रमिक योग: रुपये तीन करोड़ छ्यालीस लाख चौसठ हजार दो सौ 34,664,200.00				
 (SHRI SATNAM SINGH) <i>Satnam Singh</i> DFO (DEPARTMENT OF FORESTS) RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आदंटित राशि
7	S 19 240601796580323	61735	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796580323	61739	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O. S.F.DIVDUMKA	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
योग:				5,903,400.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड़ पाँच लाख सडसठ हजार छ: सौ			40,567,600.00